महिला घरेलू हिंसा एवं सशक्तिकरण

घरेलू हिंसा (निवारण) अधि० 2005 के अनुसार किसी महिला को घर के अन्य सदस्यों द्वारा मौखिक, शारिरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, घरेलू हिंसा का रूप माना जाएगा।

ताज़ा रिपोर्ट की बात करे तो (नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी) महिलाओं के विरुद्ध 2019 मे 405303 अपराध रिकार्ड किए गए। इनमे सर्वाधिक अपराध 31.9% घरेलू हिंसा के ही थे। ये आंकड़े गम्भीर है तब, जबकि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते है, महिला सहभागिता की बाते करते है। इन घटनाओं का लगातार बढ़ना एक सभ्य समाज एवं लोकतंत्र हेतु कलंक माना जाता है।

अब इन घटनाओं के कारणों पर नजर डाले तो कोई एक कारक नहीं बल्कि यह इतिहास से ही चलता आ रहा एक चक्र है जिसमे महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति तथा जीवन जीने की स्वतंत्रता का दमन किया गया।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट For Civil Services
G-13, Veda Business Park, Indore | 0731-4955044
132, M.P. Nagar, Bhopal | Ph. 0755-4296457
/mgicsindoreofficial https://www.youtube.com/mahatmagandhiinstituteMgics /t.me/MGICS www.mgicsindore.com

प्रश्न संख्या	**मुख्य परीक्षा** **म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग**

उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओ से विभेद लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे। उस समय ही याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के संवाद मे उठने वाले विवाद सर्वविदित है। फिर ऋषि गौतम एवं अहिल्या के कथाओ मे घरेलू हिंसा ही दृष्टिगोचर होती है।

थोड़ा और आगे आए तो द्रौपदी के साथ जो हुआ, किस प्रकार से उसे भरी सभा मे निर्वस्त्र किया गया। इसी प्रकार दुष्यंत और शकुंतला की कहानी भी इन्ही का प्रमाण रही। यह तो हुई पुरातन बातें जैसे जैसे समय बढ़ा घरेलू हिंसा के आयाम बढ़े सामाजिक बंधनो, विभेदो एवं मर्यादा मे महिला को बांधा गया। साथ ही एक धर्म की मान्यता भी साथ होती गई।

आलम यह रहा कि महिलाओं को घर से निकलने पर, सार्वजनिक रूप से हसने पर, मोटा दहेज न मिलने पर, अनेक कारणों पर पीटा गया। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि एक महिला ही दूसरे महिला की घरेलू हिंसा का कारण बन गई।

वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो परिवार से हट कर संस्थाओ, एवं रोजगार च्यन से उन्हे रोका जाता है। उन्हे संपत्ति मे हिस्सा प्रदान नहीं किया जाता ; कई मामलो मे उनकी अर्जित परिसंपत्तियो को हड़प कर लोग उसे स्वयं दाने-दाने का मोहताज बनाते है।

समस्या और गंभीर तब होती है जब महिला विधवा हो जाए, प्रथम तो विधवा होने का सामाजिक कलंक प्राप्त हो जाता है द्वितीय आवारा मर्दो की अश्लील निगाहे उसे हर समय असहज महसूस करती है। यह भी सत्य है कि अनेक मामलो मे घर के अन्य सदस्यो द्वारा उस महिला का शारिरिक शोषण होता है।

इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यो द्वारा उसे दहेज के ताने सुनने के लिए तैयार रहना होता है।

आश्चर्य की बात है जिस बेटी को हम लक्ष्मी मान कर अपने घरो मे लाते है पूर्ण परम्पराओ एवं रीतियो को सम्पन्न कराते हुए गृह प्रवेश कराते है, उसे लक्ष्मी नहीं और घर की सेविका मात्र बना दिया जाता है और अब उस महिला से सदस्यो का संबंध अपने स्वार्थ सिद्धि तक ही सीमित रह जाता है। बल्कि वे सदस्य ये कभी नहीं देखते कि उसका स्वास्थ्य

कैसा है, उसने भी भोजन किया या नहीं। वास्तव मे इस समस्या का कारण क्या है? यह जानना जरूरी है। इस प्रश्न का हल है हमारा समाज, हमारी सोच,

हमारा समाज पूर्वकाल से ही स्त्री को भले ही पूज्यनीया का दर्जा दे किन्तु वास्तव में उसे पुरुष आश्रित, अबला एवं यौन तृप्ति तथा अंहकार मिटाने वाली वस्तु समझा गया। आज भी पुरुषों की सारी गालियाँ माँ बहनों पर ही केन्द्रित होती है। कई मामलो में व्यक्तिगत द्वेष का बदला संबंधित महिलाओं के ऊपर शारिरिक एवं लैंगिक हमले कर के लिए जाते है।

सच तो यह है कि इस पितृ सत्तात्मक समाज मे आज भी स्त्री को दासी सेवा तक ही सीमित है, उसे कुछ कहने निर्णय लेने का अधिकार नहीं है अन्यथा परिणाम तो हम सबके सामने है। लेकिन इसमे महिलाओ की मौन सहमति भी इस प्रथा को बढ़ावा देती है यदि महिलाए जागरूक हो तो सरकार द्वारा किए गए

मुख्य परीक्षा
म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

हाशिए में न लिखे

प्रबंध ही प्रचलित है। लेकिन समाज का अंग होने के कारण वर्षों से जो उसने देखा है वही नियति मानकर सब सहती है और प्रतिकार नहीं करती। ~~स्क्~~ नजर

अब यह देखते हैं कि आखिर इस प्रथा का परिणाम क्या होता है। स्पष्ट है कि एक लोकतंत्र बनता है लोगों से और लोग बनते हैं महिला एवं पुरुषों से। यदि महिलाओं पर हमला होता है तो यह लोकतंत्र पर हमला माना जाता है। ~~इस~~

इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा से संबंधित रिपोर्ट जब सार्वजनिक होती है तो देश के तमाम विकास के दावों को खोखला करती है, क्योंकि बिना गरिमा, विकास कैसा। फिर यदि समाज में यह प्रथा मौजूद है तो निश्चित ही महिलाएं आर्थिक व उत्पादक गतिविधियों धार्मिक गतिविधियों से दूरी बनाती है, इसका परिणाम यह होता है कि आर्थिक विकास की गति धीमी होती है साथ ही आने वाली पीढ़ी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शायद इसीलिए साऊदी अरब जैसे देश महिलाओं को स्वतंत्रता देने लगे हैं।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट For Civil Services
G-13, Veda Business Park, Indore | 0731-4955044
132, M.P. Nagar, Bhopal | Ph. 0755-4296457
Mgics /mgicsindoreofficial https://www.youtube.com/mahatmagandhiinstituteMgics /t.me/MGICS www.mgicsindore.com

मुख्य परीक्षा
म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

इस सभी कारकों को देखते हुए सशक्तिकरण के प्रयास चालू हुए। सर्वप्रथम प्रयास बुद्धिजीवियों के स्तर पर हुआ जैसे की राजाराम मोहनराय ने सती प्रथा उन्मूलन ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने विधवा विवाह एवं बालिका शिक्षा हेतु प्रयास किए। इन्ही के समान सुधारकों की प्रेरणा से कालान्तर में महिला सशक्तिकरण हेतु संविधान में निम्न उपाय किये गए जो अग्रलिखित है

अनु 15 लैंगिक विभेदों का अंत करता है साथ ही अनु 16 लोकनियोजन में अवसर की समानता देता है तथा अनु 19 उन्हे विचार अभिव्यक्ति और अनु० 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। इसके अतिरिक्त अनु 23 महिलाओं के दुर्व्यापार को रोकता है।

महिलाओं की शासन-प्रशासन मे सहभागिता बढ़ाने हेतु 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम उन्हे स्थानीय स्वशासन मे आरक्षण प्रदान करता है।

अब बात करते है विधिक उपायों की जो अग्रलिखित है-

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा
म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

हाशिए में न लिखे

(7) महिलाओ हेतु सी.आर.पी.सी उपबंध-

(1) इसमे महिलाओ की गिरफ्तारी - महिला अधिकारी द्वारा तथा गरिमा को ध्यान रखते हुए किया जाएगा। उनसे पूछताछ पसंद की जगह पर ही की जाएगी तथा अपराधी परिवीक्षा का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।

इसी प्रकार के IPC मे 498-A जोड़ा गया एवं घरेलू हिंसा निवारण अधि (2005) बनाया गया है। जिसमे निम्न उपबंध किए गए-

पहला- संज्ञेय / असंज्ञेय हल माना जाएगा।

दूसरा दाण्डिक कार्यवाही (1 वर्ष की कैद)

तीसरा सिविल अपराध की श्रेणी

चौथा- महिला को संरक्षण एवं दोषी से रक्षा

इसी भांति दहेज प्रतिषेध अधि- 1961 बनाया गया इसके उपबंध है-

पहला- संज्ञेय उपपराध

अपराधिक श्रेणी

सजा - 5 से 7 वर्ष कारावास

फिर लाभ- मेंटनेंस भत्ता, संपत्ति मे अधिकार

समान पारिश्रमिक अधिनियम -1976- लाया गया जिसमे महिलाओ को समान वेतन प्रदान किया

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट For Civil Services
G-13, Veda Business Park, Indore | 0731-4955044
132, M.P. Nagar, Bhopal | Ph. 0755-4296457
ook.com/mgics /mgicsindoreofficial https://www.youtube.com/mahatmagandhiinstituteMgics /t.me/MGICS www.mgicsindore.com

प्रश्न संख्या	

विधवा महिला पुनर्विवाह अधि. 1978
इस अधिनियम ने विधवा जीवन को फिर से खुशहाल किया है। इसके उपबन्ध है-
(i) पुनर्विवाह मान्यता
(ii) प्राप्त बच्चों की वैधता।
(iii) पूर्व पति संपत्ति छोड़नी होगी।

सरकार के अन्य उपायों में पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना, सखी वन स्टाप सेंटर की स्थापना महिला अधिकारी नियुक्ति, महिला भरन पोषण की व्यवस्था की गई है। ~~'अब जो~~

किन्तु ध्यान देने वाली बात यह भी है कि घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाली महिलाएं ही होती हैं और पीड़ित भी महिला ही होती है यह महिला मां हो बहू या फिर बहन या पत्नी हो सकती है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आता है कि अनेक झूठे मुकदमें औरतों द्वारा ससुराल पक्ष के ऊपर डलवाए जाते हैं, इसकी पुष्टि स्वयं NCRB करता है। इस प्रकार सरकार को यह भी चाहिए कि कानूनों को तार्किक भी बनाया जाए। किन्तु यह भी सत्य है कि

ऐसे मामले 10-12 लाख ही है रोज वास्तविक है।

एक भारतीय होने के नाते एक व्यक्तिगत जिम्मेदार सामाजिक सदस्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे देश व ऐसे समाज का निर्माण करे जो महिला गरिमा को अक्षुण्ण रखे, समान अधिकारो की तृप्ति करें। इस हेतु निम्न उपाय है-

प्रथम- मे बालिकाओ की शिक्षा अनिवार्य हो।

द्वितीय- उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो ताकि पुरूष आश्रित न हो।

तृतीय- जागरूक बनाए ताकि अपने अधिकारों हेतु लड़ सके।

चतुर्थ- सोच मे परिवर्तन- बहु को बेटी माने तथा बहू भी सास को माँ माने। तथा महिलाओ को तुच्छ की वस्तु न समझे उन्हे सम्मान दें।

पंचम- उन्हे स्वतंत्रता दे, उनका अपमान एवं शारिरिक हिंसा न करें।

फिर कुछ प्रयास महिलाओ को स्वयं भी करने होगे गौतम बुद्ध के 'अप्प दीपो भव' सिद्धान्त को ध्यान रखते हुए।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट
For Civil Services
G-13, Veda Business Park, Indore | 0731-4955044
132, M.P. Nagar, Bhopal | Ph. 0755-4296457
ook.com/mgics /mgicsindoreofficial https://www.youtube.com/mahatmagandhiinstituteMgics /t.me/MGICS www.mgicsindore.com

महिलाओं को स्वयं शिक्षा, जागरूकता
आर्थिक उन्नति के प्रयास करने होंगे
न कि नियति पर सब छोड़ना होगा।

इस संदर्भ में "पिंक" मूवी की कुछ
पंक्तियां याद आती हैं'

चरित्र जब पवित्र है
तो क्यों है ये दशा तेरी
ये पापियों को हक नहीं
कि ले परीक्षा तेरी

जो तुझसे लिपटी बेड़ियां
समझ न इनको वस्त्र तू
ये बेड़ियां पिघाल के
बना ले इनको शस्त्र तू
तू खुद की खोज में निकल
तू किस लिए हताश है

तू चल तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है।

नैतिक मूल्य और जरूरत

नैतिक मूल्य ऐसे मानक है जो क्या उचित है क्या अनुचित है इसका निर्धारण करते हैं। इसके अलावा जो मूल्य नैतिकता की स्थापना करे, नैतिक मूल्य कहा जाता है।

नैतिक मूल्य की एक ऐतिहासिकता है जैसे की कौटिल्य के आचरण संहिता, अशोक के धम्म की अवधारणा में वर्णित है। ठीक थोड़ा और आगे बढ़े तो सल्तनत काल में मुहतसिब और अकबर की दीन-ए-इलाही एक प्रकार से नैतिकता की स्थापना करने वाले मूल्यों का ही समुच्चय रहे।

नैतिकता की आवश्यकता क्यों है इस पर विचार जरूरी है। यदि हम विविध आयामों पर चर्चा करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा।

उदाहरण के लिए व्यक्तिगत जीवन में नैतिक मूल्यों का होना प्रथम परिवार एवं समाज का निर्माण होता है। ऐसा समाज दोष रहित होता है।

महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट
For Civil Services
G-13, Veda Business Park, Indore | 0731-4955044
132, M.P. Nagar, Bhopal | Ph. 0755-4296457

प्रश्न संख्या	मुख्य परीक्षा म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

दूसरी बात यदि प्रशासन मे नैतिक मूल्य अभाव है तो प्रशासन अपने लक्ष्य से विपथगामी होता है फिर जनकल्याण की आशा नही होती।
यदि प्रशासन मे नैतिकता है तो वह कर्तव्यनिष्ठ सत्यनिष्ठ, जनोन्मुखी होता है और जनता को सर्वोच्च कल्याण प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त राजनीति मे यदि नैतिकता है तो वह जनता के प्रति उत्तरदायी होगी अधिकतम् कल्याण होगी, दोषरहित व पक्षपात पूर्ण पथ का चयन नही करेगी किन्तु यदि नैतिकता की कमी है तो राजनीति अपने उद्देश्यों से परे व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि मे लग जाते हैं तथा निरंकुश हो जाते है।
इसके साथ-साथ
शिक्षा मे भी नैतिकता जरूरी है क्योंकि नैतिकता विहीन शिक्षा पैसा तो दे सकती है किन्तु सफलता नही।

ऐसा नही है कि व्यवसायों मे नैतिक मूल्य जरूरी नही है। नैतिक मूल्य यदि व्यवसाय मे जरूरी है निहित है तो वे व्यापार

मुख्य परीक्षा
म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

हाशिए में न लिखे

प्रतिस्पर्धी पर ध्यान देते हैं, अनुचित व्यापार प्रथाओं का त्याग करते हैं तथा लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले उत्पाद का विक्रय नहीं करते। ठीक उसी तरह

यदि हम भ्रष्टाचार रहित, विषमता रहित देश की कल्पना करते हैं तो यह जरूरी है कि नैतिकता की स्थापना हो। गरीबी, महिला, दलितोत्थान हेतु भी नैतिक मूल्य ही अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं।

निष्कर्षतः नैतिक मूल्य प्रशासन - राजनीति को जनोन्मुखी बनाने, भ्रष्टाचार, विभेद रहित देश, स्वस्थ सभ्य तथा अपराध रहित समाज निर्माण हेतु उपयोगी है।

MGICS
To Create a better Nation

मुख्य परीक्षा
म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या 2

राजनीति से लुप्त मूल्य

राजनीति, जनसेवा का माध्यम है
यह शासन संचालन की प्रक्रिया है
लोकतंत्र की आवाज है।

राजनीति सदा से मूल्यों पर आधारित रही है ये मूल्य थे - अधिकतम जनकल्याण सर्वांगीण विकास, सामाजिक सौहार्द्र निर्माण उत्तम चरित्र निर्माण आदि।

राजनीतिक मूल्यों का वर्णन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र, प्लेटो ने द स्टेटमैन एवं द अरस्तु ने अपनी पुस्तक पालिटिक्स मे दी है। दीनदयाल उपाध्याय भी मूल्य आधारित राजनीति की माँग करते है जो लगभग 70 के दशक तक होती भी रही। जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री अटल जी जैसे नेता हमेशा मूल्यों की राजनीति मे विश्वास करते रहे।

फिर इंदिरा युग का प्रारम्भ हुआ, आपातकाल लगा कर लोकतंत्र का गला घोटा अपने स्वार्थ हेतु

MGICS महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट For Civil Services
G-13, Veda Business Park, Indore | 0731-4955
132, M.P. Nagar, Bhopal | Ph. 0755-4296457
facebook.com/mgics /mgicsindoreofficial https://www.youtube.com/mahatmagandhiinstituteMgics /t.me/MGICS www.mgics

बिल्कुल व्यक्तिगत स्वार्थ राजनीतिक मूल्य का पतन है वर्तमान राजनीतिज्ञ जनसेवा की जगह व्यक्तिगत कल्याण को सर्वोपरि रखते हुए राजनीति करते हैं। इसीलिए वे तुष्टीकरण व भ्रष्टाचार भी करते हैं। धर्म और जाति की सौहार्द्रता निर्मित रखना भी राजनीतिक मूल्य है किन्तु व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु राजनीति ने भी धार्मिक रूप लिया जिससे ~~बी.जे.पी.~~ हिन्दु महासभा एवं मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और परिणाम समक्ष है। आज भी जब चुनाव होते है सांप्रदायिक हिंसा फैलायी जाती है व जातीय हिंसा भड़काई जाती है।

साथ ही सांसदों की भाषा भी असभ्य होती जा रही है कोई किसी को पप्पू कहता है कोई चायवाला कहता है। म.प्र. में भी 'आइटम' शब्द लेकर विवाद हाल मे गर्माया रहा। ऐसा व्यवहार पहले शायद ही होता रहा। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया के द्वारा झूठे आरोप के लगाना फिर छवि खराब कराना आम हो चुका है।

(आलू डालो सोना निकालो)

मुख्य परीक्षा
म.प्र. राज्य लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या

निजी स्वार्थ हेतु राजनीतिक दलबदल करके जनादेश को ठुकराते है यह भी राजनीतिक मूल्यों की गिरावट का ही परिणाम है।

हद तो तब होती है जब राजनीति का अपराधीकरण होता है। दागी राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है और अपने पैसे व बाहुबल पर वे चुनाव जीत कर जनसेवक बन जाते है। ऐसे जनसेवक जिन्होंने अपने स्वार्थ को जनता के लहू से सींचा हो। अनंतसिंह और कुलदीप सेंगर ऐसे ही प्रत्याशी थे।

आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक पार्टियां एक नियमावली बनाए, आचार संहिता निर्मित करें और उन्ही मूल्यों पर राजनीति करें क

तभी समाज एवं देश का कल्याण संभव है।

MGICS To Create a better Nation